

[2020] 3 एस. सी. आर. 999

नारायण यादव (डी) टीएचआर एलआरएस

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य

(सिविल अपील सं. 9173/2010)

25 फरवरी, 2020

[एल. नागेश्वर राव न्यायधीश और आर. सुभाष रेड्डी, न्यायधीश]

बिहार और उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914:

धारा 28-प्रश्रुत भूमि की नीलामी बिक्री- ऋण वसूली के लिए धारा के अंतर्गत 28 नीलामी से पहले ही प्रामाणिक खरीदार होने का दावा करने वाली नीलामी बिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन-जमा की जाने वाली आवश्यक राशि 30 दिनों के भीतर जमा नहीं की गई थी-प्रमाण पत्र अधिकारी ने राशि जमा करने के लिए समय बढ़ाया-आपत्ति करने वाले द्वारा राशि जमा करने के अनुसार, नीलामी बिक्री रद्द कर दी गई-क्या नीलामी बिक्री 30 दिनों के भीतर जमा करने में विफलता पर रद्द होने के लिए उत्तरदायी है-अभिनिर्धारित समय सीमा अनिवार्य थी-प्रमाणपत्र अधिकारी के पास उस समय को बढ़ाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था-इसलिए, नीलामी बिक्री को रद्द नहीं कर सकता था।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया-1. बिहार और उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 28 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि प्रमाण पत्र-देनदार, या कोई भी व्यक्ति जिसका हित बिक्री से प्रभावित होता है, बिक्री की तारीख से तीस दिनों के भीतर किसी भी समय प्रमाण पत्र अधिकारी को विक्रय घोषणा में निर्धारित राशि साथ ही सवा छह प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से और दण्ड के साथ खरीदी मूल्य के 10 प्रतिशत के

बराबर राशि जमा करके प्रमाणपत्र अधिकारी को विक्रय रद्द करने का आवेदन कर सकते हैं। यदि अधिनियम की धारा 28 के तहत दायर आवेदन को वैध माना जाना है तो यह जमा राशि के साथ होना चाहिए, जैसा कि अधिनियम की धारा 28 (1) के तहत विचार किया गया है। [पैरा 8] [1004-डी-एफ]

2. वर्तमान मामले में, बिक्री की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर जुर्माने के साथ खरीद राशि जमा नहीं की गई थी। [पैरा 8] [1004-एफ]

3. यदि कोई व्यक्ति बिक्री को रद्द के लिए आवेदन करता है, तो उसे बिक्री को अलग करने के लिए आवेदन करना होगा, और इस तरह के आवेदन को अनिवार्य रूप से धन जमा करके समर्थित किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि इसे उस दौरान जो 30 दिन के समाप्ति के ठीक पहले दिए गए कथित समय सीमा के भीतर करना है इसके आगे, धारा में प्रयुक्त " जमा " शब्द को समझा जाना चाहिए और इसका अर्थ यह है कि जमा या तो आवेदन देने के पहले या निर्धारित 30 दिनों के भीतर आवेदन के साथ करना होगा। जब बिक्री की तारीख से तीस दिनों का एक निर्धारित समय रहे । [पैरा 8] [1004-एच; 1005-ए-बी]

4. प्रमाणक अधिकारी पर समय बढ़ाने की किसी भी शक्ति के अभाव में, जमावधि बढ़ाने का क्षेत्राधिकार नहीं है। उसके बिक्री की तारीख से तीस दिनों की अवधि से आगे। अधिनियम की धारा 28 के तहत प्राधिकरण को प्रदत्त किसी भी शक्ति के अभाव में और तीस दिनों के समय के भीतर धन जमा नहीं करने के परिणाम पर विचार करते हुए, तीस दिनों की अवधि जैसा कि धारा 28 में उल्लिखित है, को अनिवार्य माना जाना है। [पैरा 8] [1005-बी-सी]

5. धारा 28 के तहत प्रावधान का उद्देश्य बिक्री से प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना, निर्धारित समय के भीतर खरीद राशि और उसके दस प्रतिशत के साथ जुर्माना के रूप में जमा करके सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करना है जो भूमि को बनाए रखने के लिए नीलामी खरीदार को देय है। यदि तीस दिनों के बाद भी जमा करने की अनुमति दी जाती है, तो यह धारा 28 के विपरीत होगी और प्रावधान के उद्देश्य को विफल कर देगी। [पैरा 8] [1005-डी-ई]

6. प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ता, यह कहने के अलावा कि रिट-याचिकाकर्ता नीलामी से पहले ही मूल मालिकों से पंजीकृत बिक्री विलेखों द्वारा प्रामाणिक खरीदार हैं, और उन्होंने जुर्माने के लिए 10 प्रतिशत के साथ खरीद राशि भी जमा की है, आवेदन पर विचार करने हेतु कोई स्वीकार्य प्रस्तुतीकरण नहीं कर सके जो अधिनियम की धारा 28 के तहत आवश्यक जमा द्वारा समर्थित नहीं है। [पैरा 9] [1005-जी-एच; 1006-ए]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 9173/2010

लेटर्स पेटेंट अपील सं. 79 में पटना में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

अमित कुमार, सोमेश चंद्र झा, प्रवीण चंद्र, सुश्री प्योली, अधिवक्ताओ। अपीलार्थियों के लिए।

जगजीत सिंह छाबड़ा, सक्षम माहेश्वरी, डी. के. ठाकुर, देवेंद्र झा, अभिषेक कुमार, शिवराजू एच. बी., ऋतुपर्ण उनियाल, एच. एल. चम्बर, डॉ. वी. P.Appan, गोपाल सिंह, जयदीप खन्ना, श्रीकांत वरीय अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी द्वारा दिया गया।

निर्णय

1. यह सिविल अपील अपीलार्थियों द्वारा पटना उच्च न्यायालय को 1994 की लेटर पेटेंट अपील संख्या 79 में दिनांक 12 मार्च, 2008 को पारित निर्णय और आदेश से पीड़ित होकर दायर किया गया है।

2. संक्षिप्त आवश्यक तथ्य निम्नानुसार हैं:-

3. साधु शरण यादव नाम के एक व्यक्ति ने, जो यहां प्रतिवादी संख्या 14 है, ने भूमि विकास बैंक, यू.डी.ए. किशनगंज (मधीपुरा) से वर्ष 1971 की अवधि में अपनी कृषि भूमि गिरवी रखकर ऋण लिया। साधु शरण यादव ऋण नहीं चुका सका जिसके

परिणामस्वरूप ऋण की वसूली के लिए उसके खिलाफ 1981-82 का सर्टिफिकेट वाद संख्या 338 शुरू किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमाणपत्र कार्यवाही शुरू करने से पहले ही प्रतिवादी नं. १४ द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेखों द्वारा आपत्तिकर्ताओं-रिट याचिकाकर्ताओं को गिरवी रखी गई भूमि बेच दी गई थी। ऋण की राशि की वसूली के लिये गिरवी रखी गई भूमि, यानी प्रश्नगत भूमि, नीलामी के माध्यम से बेच दी गई थी। इसमें अपीलार्थी 15.06.1983 को आयोजित नीलामी बिक्री में क्रेता हैं। नीलामी की बिक्री के बारे में पता चलने के बाद प्रत्यर्थियों-रिट याचिकाकर्ताओं ने बिहार और उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1914 (इसमें इसके बाद “द एक्ट”) की धारा 28 के अंतर्गत 15.07.1983 को प्रमाण पत्र अफसर के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया। हालांकि, कुछ विवाद है कि क्या अधिनियम की धारा 28 या 29 के अंतर्गत आवेदन दायर किया गया था, क्योंकि सभी अधिकारियों ने इस आधार पर काम किया है कि आवेदन अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत दायर किया गया था, हमें इस तरह के विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि, कथित आवेदन बिक्री को रोकने के लिए दाखिल किया गया था, किसी भी राशि को उस रूप में जमा नहीं किया गया था जिस रूप में अधिनियम 28 के तहत जमा करना था। सर्टिफिकेट अधिकारी ने दिनांक 05.09.1983 के आदेश द्वारा आपत्तिकर्ता रिट याचिकाकर्ताओं को बारह हजार रुपया दस प्रतिशत जुर्माना के साथ जमा करने की अनुमति कथित खरीद की राशि पर दी और सवा छः प्रतिशत ब्याज के साथ भूमि विकास बैंक किशनगंज खाता में जमा करें और वह 22.09.1983 को या उसके पहले इस बात का सबूत भी दाखिल करें कि उसने उक्त राशि जमा कर दी है। प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ताओं ने 17.09.1983 को उक्त रकम जमा किया करने का दावा किया है। तो भी यह कहा गया है कि उक्त जमा के संबंध में पक्का रसीद बैंक अधिकारियों को बाद में 28.09.1983 को उपलब्ध कराई गई थी।

4. प्रमाणपत्र अफसर, जो इसमें पांचवां प्रतिवादी है, ने दिनांक 18.11.1983 के आदेश द्वारा प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को अनुमति दी और दिनांक 15.06.1983 को हुयी बिक्री को खारिज कर दिया। नीलामी क्रेता ने मधीपुरा के कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया था, जो इस वाद में चौथा प्रतिवादी है। कलेक्टर ने दिनांक 29.01.1985 के अपने आदेश द्वारा प्रमाणपत्र अफसर के आदेश

को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत आवश्यक धन तय समय के भीतर जमा नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी-आपत्तिकर्ता-रिट याचिकाकर्ताओं ने कोशी प्रभाग के आयुक्त के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसका पुनरीक्षण वाद संख्या 96/84-85 है, जिन्होंने दिनांक 31.03.1986 के अपने आदेश द्वारा पुनरीक्षण वाद को खारिज करके कलेक्टर के आदेश को पक्का किया। इस तरह के आदेश से पीड़ित प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ताओं ने 1986 के प्रमाण पत्र पुनरीक्षण वाद संख्या 323 द्वारा विद्वान सदस्य, राजस्व बोर्ड, बिहार के समक्ष वाद दाखिल किया जिन्होंने अपने दिनांक 27.04.1987 के आदेश के माध्यम से, मुख्य रूप से इस आधार पर मामला को खारिज कर दिया कि अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत, निर्धारित समय के भीतर वांछित राशि जमा नहीं किया गया था। ऐसे आदेशों की आलोचना करते हुए प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ताओं ने पटना हाईकोर्ट के समक्ष 1987 की रिट याचिका संख्या 3295 दाखिल की। हाईकोर्ट ने रिट याचिका को स्वीकृत किया और प्रमाणपत्र पदाधिकारी के आदेश को बहाल कर दिया, जिसके द्वारा बिक्री को रद्द कर दिया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के कथित आदेश को इन अपीलार्थियों द्वारा दाखिल लेटर्स पेटेंट अपील में संपुष्ट किया जाता है और उनके अपील को आक्षेपित आदेश द्वारा हाईकोर्ट के खण्ड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था।

5. हमने श्री अमित कुमार, अपीलकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता, श्री गोपाल सिंह, बिहार राज्य की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता और श्री जगजीत सिंह छाबड़ा को जो प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुये हैं, सुना।

6. मुख्य रूप से, अपीलार्थियों में ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा जाता है कि प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ताओं ने 15.07.1983 को दाखिल अपने आवेदन के साथ किसी तरह की राशि जमा नहीं की थी जो अधिनियम की धारा 28 के तहत प्रमाणपत्र अधिकारी वांछित यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब बिक्री को रद्द करने के लिए यह आवश्यक है कि वांछित राशि तय समय में जमा की जाय तो भी आवेदन को बिक्री रद्द करने के लिए तब तक नहीं सुना जा सकता जब तक वांछित राशि तय समय

के पहले जमा नहीं की जाती है, जैसा कि कानून करता है। किसी भी शक्ति की अनुपस्थिति में, प्रमाणपत्र अफसर को न तो जमा करने के लिए समय बढ़ाने या बिक्री को रद्द करने के लिए किसी आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार था, जो जमा द्वारा समर्थित नहीं था। यह कहा जाता है कि क्योंकि प्रमाणपत्र अधिकारी ने बिक्री को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ताओं के लिखित आवेदन को अनुमति देने में गलती की थी, कलेक्टर द्वारा पुनरीक्षण याचिका में उचित रूप से हस्तक्षेप किया गया था, और राजस्व बोर्ड द्वारा इसे संपुष्ट किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने दाखिल रिट याचिका को इसलिए स्वीकृत किया है क्योंकि उसने अधिनियम की धारा 28 को ठीक से समझा नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि खण्ड पीठ ने भी गलती से विद्वान एकल न्यायाधीश के याचिका को संपुष्ट किया था। दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं के मामला का समर्थन किया है। प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से हाजिर विद्वान अधिवक्ता श्री जगजीत सिंह छाबड़ा ने कहा है कि गिरवी रखने से पहले ही मुख्य मालिकों द्वारा भूमि को बेच दिया गया था। पंजिकृत बिक्री विलेखों द्वारा फायदे के लिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसके बावजूद वे नीलामी की राशि और जुर्माना की राशि दोनों को जमा किये हैं जो खरीद राशि के दस प्रतिशत और सवा छः प्रतिशत ब्याज की राशि है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत समय के भीतर आवेदन दाखिल किया जाता है, तो यह प्रमाणपत्र अधिकारी के लिए जमा करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए हमेशा खुला है, और यह उसके शक्ति में है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे हाईकोर्ट के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले पर विस्तार से विचार किया है, और वह आदेश खण्ड पीठ द्वारा भी संपुष्ट की गई है, इसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

7. दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, और आक्षेपित आदेश को पढ़ने के बाद जो एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया है और अभिलेख के अन्य कागजातों को पढ़ने के बाद हमारा विचार है कि प्रश्नगत विवाद को अधिनियम की धारा 28 के स्पष्टीकरण व्याख्या तक सीमित किया जा सकता है। बिहार और उड़ीसा जनता मांग वसूली अधिनियम, १९१४ की धारा 28 निम्नानुसार है:-

"28. अचल सम्पत्ति के बिक्री को रद्द करना के लिए आवेदन जब राशि जमा की जाय:- (1) जहां किसी सर्टिफिकेट केस के आदेश के कार्यान्वयन में अचल संपत्ति को बेच दी गई है, वहां प्रमाणपत्र-ऋणी या कोई व्यक्ति, जिसके हित बिक्री से प्रभावित हुए हैं, बिक्री की तारीख से तीस दिन के भीतर किसी भी समय प्रमाणपत्र अधिकारी को बिक्री को रद्द करना के लिए उसके निम्नलिखित जमा करने पर आवेदन दे सकेगा -

(क) प्रमाणपत्र धारक को अदालती के लिए वह राशि जो बिक्री के लिए तय किया गया है जिसकी वसूली के लिए बिक्री करने का आदेश दिया गया उसपर सवा छः प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के साथ जिसका आंकलन बिक्री की तारीख से लेकर राशि जमा करने की तारीख तक किया जायेगा।

(ख) क्रेता को भुगतान के लिए, दंड के रूप में, बिक्री धन के दस प्रतिशत के बराबर राशि, लेकिन प्रतिवर्ष एक रुपये से कम नहीं होगी।

(ग) जिलाधीश को राशि अदालती के लिए (जहां प्रमाणपत्र पब्लिक डिमांड के लिए है और जिलाधीश को देय है), ऐसी बकाया राशि जो सरकार को बकाया है किसी कानून के तहत कुछ समय के लिए लागू है जैसा कि जिलाधीश सत्यापित करता है कि प्रमाणपत्र ऋणी द्वारा अदा किया जाएगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति के बिक्री को रद्द करने के लिए अधिनियम 29 अंतर्गत आवेदन करता है, वहां वह तब तक बिक्री को नहीं रोक सकता जब तक वह इस आवेदन को वापस नहीं ले लेता है, और वह इस धारा के तहत कोई आवेदन दाखिल करने का हकदार नहीं है।

ध्यान दें धारा 28 (1) में विहित 30 दिनों की गिनती करने में बिक्री के दिन को छोड़कर गिनती किया जाना चाहिए।"

8. यह विवाद में नहीं है कि गिरवी रखी गई भूमि को सक्षम अधिकारी द्वारा 15.06.1983 को शुरू की गई प्रमाणपत्र कार्यवाही में नीलामी में बेच दिया गया था। उपर्युक्त वर्णित अधिनियम की धारा 28 के पठन से यह साफ़ है कि सर्टिफिकेट ऋणी अथवा कोई भी व्यक्ति, जिसका हित बिक्री से प्रभावित हैं, बिक्री को तारीख से तीस दिनों के भीतर किसी भी समय, प्रतिवर्ष छह और एक चौथाई प्रतिशत में दर से ब्याज और दंड के साथ, बिक्री में घोषणा में निर्दिष्ट मात्रा को खरीद धन के दस प्रतिशत के बराबर मात्रा के साथ जमा करके बिक्री को रद्द करवाने के प्रति प्रमाणपत्र अफ़सर के समक्ष आवेदन कर सकता है। उपर्युक्त धारा की भाषा से यह साफ़ है कि आवेदन बिक्री की तारीख से तीस दिनों के भीतर किसी भी समय आवश्यक राशि जमा करने के बाद दाखिल किया जाना है। यदि अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत दायर किए गए आवेदन वैध है, तो इसे अधिनियम की धारा 28 (1) के अंतर्गत वर्णित जमा राशि के साथ होना चाहिए इस मामले में यह स्वीकृत है कि खरीद राशि जुमाने की राशि के साथ बिक्री की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर जमा नहीं किया गया था। अफ़सर द्वारा दिनांक 05.09.1983 को पारित आदेश के पठन से पता चलता है कि नीलामी की मात्रा जमा किया नहीं की गई थी और प्रत्यर्थी-आक्षेपकर्ता-रिट याचिकाकर्ताओं को 22.09.1983 तक इसे जमा किया करने की अनुमति दी गई थी। यह प्रतिवादी का मामला है कि उन्होंने 17.09.1983 को धन जमा किया है। धारा 28 की भाषा से यह साफ़ है कि बिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन क्रय धन जमा करने के बाद ही किया जा सकता है। धारा दो भागों में है। यदि कोई व्यक्ति बिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन करता है तो 3 से बिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन करना होगा और ऐसे आवेदन को धन जमा करके आवश्यक रूप से समर्थित किया जाना होगा। आवेदन करने के लिए, जब बिक्री की तारीख से तीस दिनों का समय तय करना हो, तो इसका मतलब है कि यह तीस दिनों की समाप्ति से इससे पिछला कहा गया समय के दौरान किसी समय किया जाना चाहिए। इसके आगे, धारा में प्रयुक्त " जमा " शब्द को समझा जाना चाहिए और इसका अर्थ यह है कि कोई आवेदन करने से पहले या आवेदन करने के इसके साथ ही तीस दिनों के

निर्धारित समय के भीतर जमा करना होगा। बिक्री में तारीख से तीन दिन के भीतर, समय बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट अधिकारी पर किसी शक्ति की अनुपस्थिति में, वही बिक्री में तारीख से तीस दिन में अवधि से अधिक जमा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। कार्य है खंड 28 के अंतर्गत अधिकार को प्रदत्त किसी भी शक्ति की अनुपस्थिति में और तीस दिनों के समय के भीतर धन जमा न करने के परिणाम को ध्यान में रखते हुए, धारा 28 में उल्लिखित तीस दिनों है अवधि को अनिवार्य माना जाएगा। उपर्युक्त धारा 28 किसी चूककर्ता को दी गई रियायत में प्रकृति में है, इसलिए वह इसमें आवश्यकता का सख्ती से अनुपालन करना होगा और बिक्री को रद्द नहीं किया जाएगा, जब तक कि धारा में निर्दिष्ट पूरी राशि बिक्री में तारीख से तीस दिनों में अवधि के भीतर जमा किया नहीं कर दी जाती। यदि यह तीस दिन से अधिक है, तो अदालत ऐसे आवेदन पर विचार नहीं कर सकता है, क्योंकि यह धारा में अनुसार नहीं है। धारा 28 के अंतर्गत कहा प्रावधान का अभिप्रेत उन व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है, जो बिक्री से प्रभावित होते हैं, वे निर्धारित समय के भीतर खरीद की मात्रा को 10 प्रतिशत के साथ दंड के रूप में जमा करके सक्षम अधिकार से संपर्क करें, जो भूमि को अपने दृष्टिकोण रखने के लिए नीलामी क्रेता को देय है। तीस दिन के पश्चात् भी किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, यह खंड 28 के स्वयं के विरोध इच्छा और उपबंध के वस्तु को विफल करेगा।

9. हाईकोर्ट के विद्वान अकेला न्यायाधीश ने यह खोज रिकॉर्डिंग करते हुए कि प्रमाणपत्र अफसर आपत्तिजनक-रिट याचिकाकर्ताओं के दावा से संतुष्ट है, रिट याचिका को मंजूर कर लिया है और आवेदन को मंजूर कर लिया है। यहां तक कि अपीलकर्ताओं द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील में, हाईकोर्ट ने इस तथ्य को उद्धृत करके अपील को खारिज कर दिया है कि यह समय विस्तार के लिए एक उपयुक्त मामला था या नहीं, मूल रूप से न्यायिक विवेक है, और यह दिखाने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है कि इस तरह के विवेक का उपयोग गलती से या स्वेच्छा से किया गया था। जब धारा एक विशिष्ट समय के भीतर जमा करके आवेदन दाखिल करने के लिए आदेश देती है, तो हमारा विचार है कि समय बढ़ाने के लिए अधिकारी के पास कोई विवेक नहीं है। प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान सलाह, यह कहने के सिवाय कि लेखन-याचिकाकर्ता नीलामी से पहले भी मूल मालिकों से दर्ज कराई गयी बिक्री विलेखों द्वारा प्रामाणिक

खरीदार हैं, और उन्होंने दंड के रूप में 10% के साथ खरीद की राशि भी जमा किया है, को स्वीकार निर्माण के लिए कोई स्वीकार्य प्रस्तुति नहीं कर सके। ऐसा आवेदन जो कार्य है धारा 28 के अंतर्गत आवश्यक जमा द्वारा समर्थित न हो।

10. उपरोक्त कारणों से हम इस सिविल अपील की अनुमति देते हैं और आक्षेपित आदेश को रद्द करते हैं। परिणामस्वरूप, 1987 की रिट याचिका संख्या 3295 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 03.05.1994 को पारित आदेश राजस्व बोर्ड के आदेश को पुष्टि करते हुए रद्द कर दिया जाता है। वास्तव में बिहार और उड़ीसा जनता मांग वसूली अधिनियम, १९१४, की धारा २८ के अंतर्गत प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ताओं प्रमाणपत्र अफसर के समक्ष उनके द्वारा जमा किया गए धन की वापसी के अधिकारी हैं।

(एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति)

(आर. सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति)

नया दिल्ली

25 फरवरी, 2020

खण्डन (डिस्क्लेमर) :- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।